श्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या ::– 60 / 2007

1. सत्यनारायण आत्मज रामस्वरूप जाति ओझा निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
2. रामगोपाल आत्मज रामस्वरूप जाति ओझा निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
3. मंजुलता पुत्री रामस्वरूप जाति ओझा निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
4. प्रेमलता पुत्री रामस्वरूप जाति ओझा निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
5. शीला पुत्री रामस्वरूप जाति ओझा निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये कलेक्टर साहब चितौडगढ़
2. श्री तहसीलदार साहब बेगूँ (भूमिधारी) चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 27.11.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा

वादीगण का वाद पत्र इस प्रकार से है कि वादीगण स्व0 रामस्वरूप जी आत्मज श्री किशन जी ओझा निवासी बस्सी के पुत्र पुत्रीयां होकर उनके वैधानिक उत्तराधिकारी है। श्री रामस्वरूप जी का स्वर्गवास हो गया है।

यह कि रामस्वरूप आत्मज श्री किशन जी ओझा निवासी बस्सी को भूतपूर्व ठीकाना पारसोली तह0 बेगूँ के पूर्व जागीरदार साहब श्री जगन्नाथ सिंह जी ने मौजा पारसोली तह0 बेगूँ की आराजी नम्बर 86, 87, 88 में से रकबा 23 बीघा 7 बिस्वा भूमि दिनांक 30.05.50 को पट्टे पर दी तभी से स्व0 रामस्वरूप जी उस पर काबीज चले आ रहे है औकर उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण काबीज चले आ रहे है। यह रकबा वर्तमान में आरी नम्बर 4 में शामील हो गया है।

यह कि उपरोक्त आराजी का रदोबदल राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादीगण के स्व0 पिता जी के नाम नहीं हो सका जिससे यह रकबा ठीकाना के वक्त में बिलानाम था जो बाद में भी बिलानाम ही दर्ज हुआ और भू–प्रबन्ध में भी बिलानाम दर्ज हुआ है जबकि यह रकबा ठीकाने द्वारा वादीगण के पिता को पट्टे पर दिया गया है। पारसोली ठीकाना मेवाड राज्य के प्रथम श्रेणी के ठीकानों में आता है। यहॉ के जागीरदार को भूमि पट्टे पर देने का पूरा अधिकार था।

यह कि उपरोक्त भूमि को पट्टे के आधार पर रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु वादीगण के पिता स्व0 रामस्वरूप जी ने राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो के समक्ष काफी प्रयास किया किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया। रामस्वरूप जी का स्वर्गवास हो चुका है और उक्त रकबा 23 बीघा 7 बिस्वा जो वर्तमान में आराजी नं0 4 में शामील हो गया है और जिस पर वादीगण काबीज है। यह रकबा वादीगण अपने खातेदारी में घोषित कराने व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

यह कि बिनाय दावा दिनांक 01.07.2006 को शुरू होती है जबकि काफी प्रयास के पश्चात वादीगण को यह विश्वास हो गया कि बिना हम घोषणा कराये रेकार्ड दुरूस्त नहीं होगा जो प्रतिदिन हो रही है। आराजीयात ग्राम पारसोली तह0 बेगूँ में स्थित है और खातेदार हक की घोषणा हेतु यह वाद होने से समायत न्यायालय आप है।

यह कि प्रतिवादीगण राजस्थान राज्य एवं उसके अधिकारी है जिन्हे धारा 80 जा0दी0 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 10.8.2006 को दिया गया जिसकी दो माह की अवधी काफी अर्से पूर्व समाप्त हो चुकी है और कोई कार्यवाही अथवा रेकार्ड में दुरूस्ती न होने से यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादपत्र उचित अवधि में प्रस्तुत है।

वादीगण की प्रार्थना है कि :—

(अ) पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण यह धोषित फरमाया जावे कि मौजा पारसोली तह0 बेगूँ की साबिक आराजी नम्बर 86, 87 व 88 मे 23 बीघा 7 बिस्वा रकबा वादीगण का है जो वर्तमान आराजी नम्बर 4 बिलानाम मे शामिल हो गया है जिसे वादीगण के खातेदारी में घोषित फरमाया जावे एवं रेकार्ड में भी रकबा वादीगण के नाम दर्ज किये जाने की डिकी प्रदान की जावें।

(ब) खर्चा मुकद्मा वादीग्णा को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(स) अन्य दाद जो मुफीद वादीगण को दिलवाया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण राज्य सरकार की ओर से पत्रावली में तहसीलदार बेगूँ उपस्थित आए तथा प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए अपने जवाबदावा में निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या एक वादी स्वयं सिद्ध करें। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 अस्वीकार है तथाकथित पट्टा संख्या 115/3 कानूनन कोई प्रभाव नहीं रखता है। वादपत्र की कलम संख्या 3 अस्वीकार है। वाद पत्र की कलम संख्या चार अस्वीकार है। तथाकथित पट्टे के आधार पर वादी को भूमि अपने नाम पर कराने का अधिकार नहीं है। वाद पत्र की कलम संख्या 5, 6 व 7 का जवाब अपेक्षित नहीं है। कलम संख्या 8 अस्वीकार है तथाकथित पट्टे के आधार पर नोटिस दिया जाना नियमान्तर्गत नहीं है। यह कि कलम संख्या 10(अ) अस्वीकार है वादी को प्रस्तुत पट्टे के आधार पर कोई वाद लाने का अधिकार नहीं है वाद वादीगण का खारिज योग्य है।

पत्रावली में प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्रस्तुत होने पर निम्न तनकी कायम की गई :—

1— आया कि मौजा पारसोली की साबिक आराजी नम्बर 86, 87 व 88 में 23 बीघा 7 बिस्वा वादीगण का है जो वर्तमान आराजी नम्बर 4 में बिलानाम में शामिल हो गया है उक्त आराजी को वादीगण अपने खातेदारी में घोषित करा पाने के अधिकारी है?

वादीगण

2— आया कि तथाकथित पट्टा संख्या 115 ग/3 कानूनन कोई प्रीााव नहीं रखने से पट्टे के आधार पर वाद लाने का अधिकार नहीं है वाद खारिज योग्य है?

प्रतिवादीगण —सरकार

3— दादरसी ?

पत्रावली में वादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी रामगागेपाल पिता रामस्वरूप ओझा निवासी बस्सी व वादी सत्यनारायण पिता रामस्वरूप ओझा निवासी बस्सी के प्रस्तुत किए गये। प्रकरण में वादी सत्यनारायण से वक्ल मुख्य परीक्षण दस्तावेज प्रदर्श कराते वक्त पट्टा पंजीकृत नहीं किये जाने पर बयान रिजर्व रखे गए। जिसके बाद उक्त पट्टे के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर द्वारा उनके निर्णय दिनांक 7 फरवरी, 2014 से निर्देशित किया गया कि वादीगण द्वारा पट्टा संख्या 115/3 दिनांक 30.5.50 मूल ही पेश किया जाता है तो इसे रिकोर्ड पर लेते हुये पट्टे की ग्राहयता के बारे में उचित निर्णय लिया जावें। पात्रावली में रामगोपाल ओझा के साक्ष्य शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण करते समय उनके बयान कलमबद्ध कराये तथा जिरह प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिसमें मूल पट्टा प्रदर्श—1 होना बताते हुए ठीकाने से ऐसे पट्टे दिये जाने का उल्लेख अपनी जिरह में किया है। प्रश्न की मूल पट्टा न ही पंजीकृत है ना ही निर्धारित प्रपत्र पर है इस बिन्दु पर अधिवक्ता वादीगण द्वारा आइन्दा बहस पट्टे के सम्बन्ध में निवेदन करने को कहा है मूल दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज पट्टा हेतु बहस होकर निर्णय होने तक वादी के बयान रिजर्व रखे जाते है। इस प्रकार वादीगण के बयान रिजर्व रहे हैं। पत्रावाली में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र पर जो दस्तावेज इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत किए गये है उन्हे प्रदर्श कराया गया है तथा घोषणा के वाद का मुख्य आधार ही दस्तावेजी साक्ष्य होता है।

दावा पत्रावली में पर उभयपक्ष की बहस को सुना गया। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन वादपत्र के अनुसार ही करते हुए कहा कि जागीरदार पारसोली ने दिनांक 30.5.50 को पट्टा वादीगण के पिता रामस्वरूप को दिया था, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा मूल पट्टे की ग्राहयता को देखे जाने के निर्देश दिये है। जागीरदार को पट्टे देने का अधिकार था, इसी पट्टे के आधार पर वाद वर्णित भूमि को वादीगण अपने खातेदारी मे दर्ज कराना चाहते है, जगीर कमिश्नर के यहॉ उपुर्युक्त पट्टे के सम्बन्ध में रिकोर्ड नही है।

ून पूर्व जागीरदार ने सीलिंग के केस में यह तथ्य स्वीकार किया है। (18.2.1987) अतः वाद वादीगण का स्वीकार फरमाया जाकर गत आराजी संख्या 86, 87 व 88 जिसके नवीन आराजी नम्बर 4 है रकबा 23 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो कि वर्तमान में बिलानाम है को वादीगण के खातेदारी में घोषित किये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें।

बहस में तहसीलदार बेगूँ द्वारा निवेदन किया कि प्रस्तुत पट्टे के आधार पर वादीगण यह वाद पत्र नहीं ला सकते है क्यो कि पट्टा मूल नहीं है। ना ही पंजीकृत है साथ निर्धारित प्रपत्र पर भी नहीं है। वादीगण का वर्णित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का पारसोली से रिपोर्ट प्राप्त की गई है जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मिलान शीट अनुसार गत भू–माप के खसरा नम्बर 86 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 5 बने है किस्म गैरमुमकिन रास्ता एवं गत खसरा नम्बर 87 वर्तमान खसरा नम्बर 4 बने है एवं गत भू–माप खसरा नं0 88 जो वर्तमान ासरा 6 किस्म गै0मु0 सडक एवं खसरा नम्बर 7 किस्म गैर मुमकिन पठार बने है। यह कि वर्तमान खसरा नम्बर 4 रकबा 10.6800 हैक्टर किस्म पठार एवं खसरा नम्बर 1501/4 रकबा 0. 1200 हैक्टर किस्म पठार होकर क्रमशः राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित व ग्रामीण विकास केन्द्र गौंण मण्डी प्रांगण पारसोली के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौका अनुसार आराजी नम्बर 4 पर रेलवे स्टेशन आवासी कॉलोनी रेलवे ट्रेक निकला हुआ है, शेष भाग पर पेड पोंधे लगे होकर रास्ते निकल हुए है। साथ ही वर्तमान खसरा नम्बर 5 रकबा 0.41 हैक्टर किस्त रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है जो मौके पर रास्ता है। वादीगण वर्णित आराजी की घोषणा करा पाने के अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में वादीगण की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज के गुणावगुण पर विचार करते हुए नियमानुसार पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–1 जो कि पट्टा संख्या 115 ग/3 दिनांक 30.5.50 का लिखा हुआ एक सादा कागज पर लेख है जो इस प्रकार से है "<u>सिध श्री महाराजाधिराज महारव जी श्री जगन्नाथ सिंह जी बेचनाथ रामस्वरूप पिता श्री किशन जी ओझा निवासी बस्सी तहसील गंगरार जो कि मोजा पारसोली में ठिकाने की आराजी नं0 86 व 87 व 88 मे से 23 बीघा 7 बिस्वा भूमि कुल मय हक हकूक तुमको कीमतन 171/–रूपये एक सौ इकोतर में तुमको विक्रय कर बापी हक से बापी दी जाती है कूल हक हकुक तुमको दी जाती हैं सो धारे वंश होवेगो वो भोगेगो इस जमीन पर कुआँ खुदाना रहन बहन बक्षीस करना सो जोगजो भोगजो था सु कोई चोलण होगा नहीं सं0 2007 सेठ सुध 14 मंगलवार ता. 30.5.50 दः उदयसिंह कोठारी श्रीमान हुजुर साहब के हुकुम से</u>" इस सादा कागज पर जो पट्टा लिखा है उसका जो कोना फाडा गया है उसको बचाते हुए इस पट्टे की ईबारत को लिखा है, जबकि इस पट्टे पर कही भी जागीरदार जगन्नाथ सिंह जी के दस्तखत नहीं है, दस्तखत उदयसिंह कोठारी ने किये है। ना ही कोई जागीरी की छाप अंकित दीखाई देती है, मूल छाप स्पष्ट होती है जो नहीं है। यानि यह कागज पर लिखा गया पट्टा मूल पट्टे की भाषा में नहीं आता हैं। साथ ही जो गत आराजी संख्या 86,87 व 88 मे से 23 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो वादीगण के पिता रामस्वरूप को दी गई है वह कीमतन राशि 171 रूपये पर दी गई है। चूँकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आप दावा ला रहे है तथा कोई भी भूमि का विक्रय यदि 100/– रूपये से अधिक की राशि का होता हो तो वह पंजीयन होना आवश्यक होता हैं। इस प्रकार जिस भूमि का विक्रय हुआ है वह पंजीकृत नहीं है।

प्रदर्श–2 दफा 80 जा.दी. का नोटिस की प्रति है। तथा प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 उसकी प्राप्ती रसीद ए.डी. कार्ड की हैं। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा पारसोली सं0 2064 की प्रस्तुत की गई है जिसमें नवीन आराजी संख्या 4 का रकबा 10.6800 हैक्टर भूमि पठार होकर राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित सेट अपार्ट अन्य आराजी नम्बरान के साथ दर्ज की हुई है। यानि जिस नवीन आराजी नम्बरान को वादीगण अपने खाते में दर्ज करवाना चाहते है वह भूमि पठार होकर राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है, यानि भूमि पर वादीगण का कही भी कब्जा काश्त नहीं है, वादीगण ने अपने वादपत्र में कब्जा काश्त होने के तथ्य को किसी भी दस्तावेज से सिद्ध नहीं कराया है। इसी प्रकार भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग मिलान खसरा नम्बरान का पेश किया है जो प्रदर्श–6 है जिसमें दर्ज गत आराजी संख्या 87 के नवीन आराजी नम्बर 4 बने है। इसके अलावा आराजी संख्या 86 व 88 के लिए उक्त नकल प्रस्तुत नहीं की है।

वली में प्रतिवादीगण के जवाबदावा के अलावा पटवार हल्का पारसोली द्वारा जो मौका रिपोर्ट गत आराजी संख्या 86 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 5 बने है किस्म गैरमुमकिन रास्ता एवं गत खसरा नम्बर 87 वर्तमान खसरा नम्बर 4 बने है एवं गत भू–माप खसरा नं0 88 जो वर्तमान खसरा 6 किस्म गै0मु0 सडक एवं खसरा नम्बर 7 किस्म गैर मुमकिन पठार बने है। यह कि वर्तमान खसरा नम्बर 4 रकबा 10.6800 हैक्टर किस्म पठार एवं खसरा नम्बर 1501/4 रकबा 0.1200 हैक्टर किस्म पठार होकर कमशः राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित व ग्रामीण विकास केन्द्र गौंण मण्डी प्रांगण पारसोली के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौका अनुसार आराजी नम्बर 4 पर रेलवे स्टेशन आवासी कॉलोनी रेलवे ट्रेक निकला हुआ है, शेष भाग पर पेड पोंधे लगे होकर रास्ते निकल हुए है। साथ ही वर्तमान खसरा नम्बर 5 रकबा 0.41 हैक्टर किरत रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है जो मौके पर रास्ता है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 6/1985 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम श्री राव जगन्नाथसिंह कार्यवाही अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 अध्याय 111 वी कृषि पर अतिकसम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1963 (सीलिंग) के तहत हुए निर्णय दिनांक 18.02.1987 में आराजी संख्या 4 जिसे रामस्वरूप ओझा को जरिये पट्टा संख्या 115 ग/3 से दिये जाने का अंकन करते हुए उक्त भूमि के लिए नोट अंकित किया हुआ है कि यह भूमि भी कोटा चितौडगढ रेलवे लाईन में आवाप्ति में चली गयी जिसका मुआवजा बकाया हैं। सभी दस्तावेज के अवलोकन से किस आधार पर वादीगण भूमि घोषित कराना चाहते है, यह दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है। वादीगण दस्तावेज के आधार पर मौजा पारसोली की आराजी संख्या 4 का रकबा 23 वीघा 7 विस्वा भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने की घोषणा करा पाने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। इस प्रकार तनकी नं0 1 विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2– <u>तनकी नम्बर 2 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण राज्य सरकार का है। राज्य सरकार की ओर से उनके प्रतिनिधी श्री तहसीलदार बेगूँ द्वारा अपने जवाबदावा में कथन किया है कि तथाकथित पट्टे के आधार पर भूमि प्राप्त करने के अधिकारी नही है ना ही वादीगण का कब्जा भूमि पर हैं। इस सम्बन्ध में भी प्रतिवादीगण पैरोकार तहसीलदार की ओर से प्रकरण में गत आराजी संख्या 86, 87 व 88 के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट पटवारी की प्रस्तुत की गई है उसमें भी वादीगण नवीन आराजी संख्या 4 की भूमि जो कि राजकयी प्रयोजनार्थ आरक्षित व शेष भूमि रेल्वे में आवाप्त भूमि है, को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। दावा पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकी नम्बर 1 का निर्णय भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया गया है, जिससे प्रतिवादीगण की यह तनकी नं0 2 स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम की गई तनकी को वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपने पक्ष में निर्णित करा पाने में विफल रहे है। वादीगण मौजा पारसोली के गत आराजी संख्या 86, 87 व 88 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा भूमि जिसके नये नम्बर 4 होना बताते हुए भूमि अपने खाते में घोषित कराना चाहते है जबकि आराजी नम्बर 4 की भूमि जो कि राजकयी प्रयोजनार्थ आरक्षित व शेष भूमि रेल्वे में आवाप्त भूमि है, को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। इस प्रकार वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता हैं।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से दावा वादीगण का एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं ।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास, सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या ::– 60 / 2007

1. सत्यनारायण आत्मज रामस्वरूप जाति ओझा निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
2. रामगोपाल आत्मज रामस्वरूप जाति ओझा निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
3. मंजुलता पुत्री रामस्वरूप जाति ओझा निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
4. प्रेमलता पुत्री रामस्वरूप जाति ओझा निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
5. शीला पुत्री रामस्वरूप जाति ओझा निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये कलेक्टर साहब चितौडगढ़
2. श्री तहसीलदार साहब बेगूं (भूमिधारी) चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूं की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.11.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष अंतिमत निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है । दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से दावा वादीगण का एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं ।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं